(120)

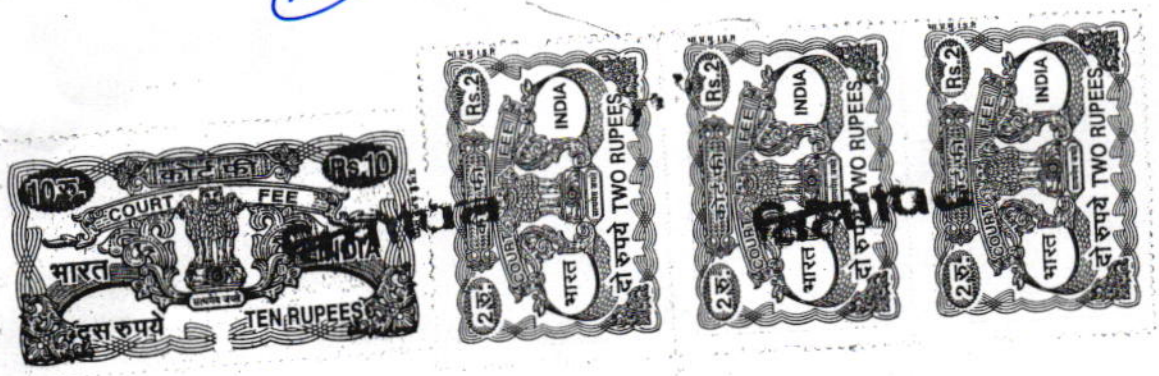

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 कन्टेम्प्ट आवेदन – विविध 10/1- II/12

अतुल तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी निवासी ग्राम बरकोडा तह. सुहागपुर जिला भाहडोल म.प्र. —— आवेदक

बनाम

1. रामरतन पुत्र गिरधर गुप्ता
2. रामखिलावन पुत्र गोविन्द गुप्ता
निवासीगण ग्राम खन्नौधी तह. सोहागपुर जिला शहडौल म.प्र. —— अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 19-4-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कन्टेम्पट आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1872।

मान्यवर,

आवेदक की ओर से अवमानना आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, आवेदक अतुल तिवारी पिता जगदीश तिवारी निवासी बरकोड़ा के द्वारा ग्राम खन्नौधी पटवारी हल्का खन्नौधी स्थित भूमि सर्वे क. 1215/1—क रकवा 0.688 है. जिसका वह भूमि स्वामी है के अंश रकवा 0.040 है. पर अनावेदकगण/निगरानीकर्ता द्वारा एकराय हो कर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण वेदखल करने हेतु मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 250, 250(3) में खसरा नकल आवेदन पत्र नायब तहसीलदार वृत्त सुहापारु तह. सुहागपुर जिला शहड़ोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.11.2006 से तहसीलदार महो. द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त आदेश की अपील अनावेदकगण/निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महो. सुहागपुर जिला शहड़ोल के समक्ष पेश की गई। जिसमें पारित आदेश दिनांक 18.05.2007 से अपील निरस्त कर दी गई। उक्त आदेश के बिरुद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 1011–दो/2012 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
23–8–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 722–तीन/08 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25–6–08 जिसके द्वारा इस न्यायालय से स्थगन आदेश पारित कर अन्य आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक रामरतन जो मूल निगरानी में अनावेदक थे को परेशान की नियत से जान बूझकर बार–बार अवैध निर्माण कर रहे थे जिससे इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेना है। अतः उक्त निर्माण कार्य को रोकने उसके विरूद्ध कार्यवाही एवं संबंधित तहसीलदार को इस न्यायालय के यथास्थिति के आदेश का पालन हेतु निर्देशित किया जाये। 3/ अवमानना प्रकरण एवं इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण कमांक निगरानी 722–तीन/08 का अवलोकन किया। मूल निगरानी में दिनांक 16–1–2013 को अंतिम आदेश पारित किया जाकर प्रकरण का निर्देश के साथ निराकरण हो चुका है। चूंकि यह अवमानना अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी और अब मूल निगरानी में अंतिम आदेश पारित होकर उक्त आदेश का पालन भी संभवतः विचारण	

न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। अतः इस अवमानना प्रकरण मे किसी प्रकार के आदेश पारित करने के आवश्यकता प्रतीत न होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य